

मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत संचालित

अल्पावास गृह

हिंसा की शिकार महिलाओं के
निःशुल्क, सुरक्षित आवासन एवं पुनर्वास हेतु



उत्पीड़ित महिलाओं को आश्रय, चिकित्सा सुविधा, मनोवैज्ञानिक एवं विधिक परामर्श प्रदान करने एवं उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुनर्वासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर अल्पावास गृह की स्थापना की गई है। अनैतिक मानव पणन निषेध अधिनियम, 1956 के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियों को खरीद-फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करना भी अल्पावास गृह का उद्देश्य है।

महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार द्वारा संचालित